प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 28.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 189 वाहनों से 2,20,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 28.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 189 वाहनों से 2,20,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 243/2026 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190/125/115(2)/352 बी०एन०एस० से सम्बन्धित 05 नफर अभियुक्तगण 1. सन्नी पुत्र धर्मेन्द्र 2. बब्बी पुत्र धर्मेन्द्र 3. तुफानी पुत्र स्व0 स्वामीनाथ 4. कमलेश पुत्र तुफानी 5. सचिन पुत्र तुफानी निवासीगण गायघाट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को कटारमिश्र पुल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री इनरमल पुत्र महिपत ग्राम गायघाट थाना धनघटा द्वारा दिनाँक 27.04.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण व उनके साथियों द्वारा दिनाँक 26.04.2026 को वादी के परिवार की बारात जा रही थी, बारात जोगेन्द्र के घर के सामने पहुंची तभी औरतों व बच्चियों के ऊपर कंकड़ मार दिया गया जिसको लेकर झगड़ा-विवाद हुआ। जिसमें मेरे भतीजे अनिल कपुर पुत्र भागीरथी गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित 05 अभियुक्तो को आज दिनाँक 28.04.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
प्रभारी नि0 थाना धनघटा श्री दिलीप सिंह, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव, हे0का0 इब्राहिम अली, का0 रजनीश यादव, का0 मुन्नेलाल गुप्ता, का0 अनिल कुमार यादव, का0 मनोज यादव,का0 रवी चौरसिया,का0 सलमान अंसारी, का0 नमी कुमार गौड़।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 28.04.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 389/25 धारा 137(2),87,65(1) बी0एन0एस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभियुक्त दुर्गाशंकर पुत्र कप्पू साहनी सा0 अचलगढ़ टागिया (नर्सरी) थाना पुरन्दरपुर जिला महाराजगंज को हरदी नहर पुल से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 15.10.2025 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध वादिनी की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही कर आज दिनाँक 28.04.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 अजय कुमार सिंह, हे0का0 रमेश मिश्रा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 28.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा आर्म्स एक्ट के मामले से सम्बन्धित अभियोग में अभियुक्त को दण्डित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-
मु0अ0सं0 342/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से संबन्धित अभियुक्त को दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री राजेश य़ादव थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर बावत अभियुक्त तैय्यब पुत्र कल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार कर थान दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 342/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।